
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन **Employees Provident Fund Organisation**

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मख्य कार्यालय/ HEAD OFFICE



संख्या: एच. आर. डी./3(2)2012/एसपीएफ़/ 3790

दिनांक: 2 5 JUL 2024

सेवा में.

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त /निदेशक, प.दी.रा.सा.सु.अ. (PDNASS). सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (स्थानीय प्रशासन)

विषय: Revised rate of interest for Q1 and Q2- with regard to Staff Provident Fund in EPFO - regarding. महोदय.

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मत्रांलय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) से जारी Resolution No. 5(3)-B(PD)/2023 दिनांक 10-06-2024 और 03-07-2024 की प्रति उचित कार्यवाही/ लागू करने हेत् सलंग्न है।

सलंग्र : यथोपरि

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एच.आर.डी-।)

प्रतिलिपि:

- केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के प्रधान निजी सचिव
- सभी EC / CBT सदस्य
- वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के प्रधान निजी सचिव
- मुख्य सतकर्ता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव / सभी उप निदेशक, सतकर्ता
- मुख्य अभियंता के निजी सचिव
- प्रभारी अधिकारी, सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान
- सभी आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी
- मुख्यालय के सभी अधिकारी / सभी निजी सचिव / सभी अनुभाग अधिकारी
- 9. महासचिव, ई.पी.एफ. ऑफिसर्स एसोसिएशन
- 10. महासचिव, आल इंडिया ई.पी.एफ. स्टाफ फेडरेशन
- 11. महासचिव, आल इंडिया ई.पी.एफ.एम्प्लाइज संघ
- 12. महासचिव, आल इंडिया ई.पी.एफ. एस.सी/एस.टी फेडरेशन
- 13. क्षे.भ.नि.आ. (एन.डी.सी.) वेबसाइट पर अपलोड करने हेत्
- 14. गार्ड फाइल
- 15. हिन्दी अनुभाग

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एच.आर.डी-।)

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)

एफ. संख्या 5(3)-बी(पी.डी.)/2023 भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग)

नर्ड दिल्ली, दिनांक 10 जून, 2024

आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2024-2025 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 अप्रैल, 2024 से 30 जून, 2024 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:

- 1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
- अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि। 3.
- राज्य रेलवे भविष्य निधि।
- सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
- भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
- भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
- भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
- रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
- सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
- 2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में.

प्रबंधक. (तकनीकी शाखा) भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, दिल्ली।

फा. संख्या 5(3)-बी(पी.डी.)/2023

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग को प्रति प्रेषित।

निम्नलिखित को भी प्रति प्रेषितः-

- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय।
- अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
- महालेखा नियंत्रक (10 प्रतियां)। 3.
- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन यूनिट/अखिल भारत सेवा प्रभाग)।
- मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार (6 प्रतियां)।
- मंत्रालयों/विभागों के मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक।
- रक्षा लेखा महानियंत्रक।
- सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सचिव/उप-राज्यपाल।
- सचिव स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
- सभी सदस्य स्टाफ पक्षं, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
- एनआईसी वैबहोस्ट हेत्।

अवर सचिव (बजट)

(TO BE PUBLISHED IN PART I SECTION 1 OF GAZETTE OF INDIA)

F.NO. 5(3)-B(PD)/2023 Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs (Budget Division)

New Delhi, the IoJune, 2024

RESOLUTION

It is announced for general information that during the year 2024-2025, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1st April, 2024 to 30th June, 2024. This rate will be in force w.e.f. 1st April, 2024. The funds concerned are:

- 1. The General Provident Fund (Central Services).
- 2. The Contributory Provident Fund (India).
- The All India Services Provident Fund.
- The State Railway Provident Fund.
- The General Provident Fund (Defence Services).
- The Indian Ordnance Department Provident Fund.
- The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
- The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
- The Defence Services Officers Provident Fund.
- The Armed Forces Personnel Provident Fund.

Ordered that the Resolution be published in Gazette of India

Additional Secretary to the Govt. of India

To.

The Manager, (Technical Branch) Government of India Press, Minto Road, Delhi.

F.No.5(3)-B(PD)/2023

Copy forwarded to all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission and NITI Aayog.

Copy also forwarded to :-

- Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control.
- 2. Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority.
- Controller General of Accounts (10 copies).
- Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division).
- Financial Adviser of Ministries/Departments (6 copies).
- Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts of Ministries/Departments.
- Controller General of Defence Accounts.
- Finance Secretary of all State Governments and Union Territories.
- Secretary to Governors/Lt. Governors of all States/Union Territories.
- Secretary Staff Side, National Council of JCM.
- All Members, Staff Side, National Council of JCM.

NIC - For uploading on webhost.

(Harish Rajpal) Under Secretary (Budget)

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)

एफ. संख्या 5(3)-बी(पी.डी.)/2023 भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 🕇 जुलाई, 2024

आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2024-2025 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 जुलाई, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 जुलाई, 2024 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:

- सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
- अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
- राज्य रेलवे भविष्य निधि।
- सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
- भारतीय आयध विभाग भविष्य निधि। 6.
- भारतीय आयंध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
- भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
- रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
- सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
- आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अपर सचिव भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक. (तकनीकी शाखा) भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, दिल्ली।

फा.संख्या 5(3)-बी(पी.डी.)/2023

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग को प्रति प्रेषित।

निम्नलिखित को भी प्रति प्रेषित:-

- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय।
- अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
- महालेखा नियंत्रक (10 प्रतियां)।
- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन यनिट/अखिल भारत सेवा प्रभाग)।
- मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार (6 प्रतियां)।
- मंत्रालयों/विभागों के मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक।
- रक्षा लेखा महानियंत्रक।
- सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सचिव/उप-राज्यपाल
- सचिव स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
- सभी सदस्य स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
- 12. एनआईसी वैबहोस्ट हेत।

अवर सचिव (बजट

(TO BE PUBLISHED IN PART I SECTION 1 OF GAZETTE OF INDIA)

F.NO. 5(3)-B(PD)/2023 Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs (Budget Division)

New Delhi, the 3 July, 2024

RESOLUTION

It is announced for general information that during the year 2024-2025, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1st July, 2024 to 30th September, 2024. This rate will be in force w.e.f. 1st July, 2024. The funds concerned are:

- 1. The General Provident Fund (Central Services).
- The Contributory Provident Fund (India).
- The All India Services Provident Fund.
- The State Railway Provident Fund.
- The General Provident Fund (Defence Services).
- The Indian Ordnance Department Provident Fund.
- The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
- The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
- The Defence Services Officers Provident Fund.
- The Armed Forces Personnel Provident Fund.

Ordered that the Resolution be published in Gazette of India

(Ashish Vachhani)

Additional Secretary to the Govt. of India

To,

The Manager, (Technical Branch) Government of India Press, Minto Road, Delhi.

F.No.5(3)-B(PD)/2023

Copy forwarded to all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission and NITI Aayog.

Copy also forwarded to :-

- 1. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control.
- Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority.
- Controller General of Accounts (10 copies).
- Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division).
- Financial Adviser of Ministries/Departments (6 copies).
- Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts of Ministries/Departments.
- Controller General of Defence Accounts.
- Finance Secretary of all State Governments and Union Territories.
- Secretary to Governors/Lt. Governors of all States/Union Territories.
- 10. Secretary Staff Side, National Council of JCM.
- All Members, Staff Side, National Council of JCM. 11.
- NIC For uploading on webhost.

(Harish Rajpal) Under Secretary (Budget)